GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EDUCATION DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

Appointment of Vice-Chancellor of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha (A Central University)

The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:

- A person possessing the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment is to be appointed as Vice-Chancellor. The person to be appointed as a Vice-Chancellor should be a distinguished academician, with a minimum of ten years' of experience as Professor in a University or ten years' of experience in a reputed research and / or academic administrative organisation with proof of having demonstrated academic leadership.
- Preferably not more than 65 years of age as on the closing date of receipt of applications of this advertisement.

Salary and Service Conditions

- The post carries a pay of Rs. 2,10,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 11,250/- and other usual allowances.
- The terms and conditions of the services will be those as set forth in the Act, Statutes and Ordinances of the University.

Procedure for appointment

- Appointment will be made from a panel of names recommended by a Committee constituted under the provisions of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1997.
- The advertisement and the format of application are available on the websites http://www.education.gov.in and https://hindivishwa.org
- The applications in the <u>prescribed proforma</u> should reach within 30 days from the date of the publication of this advertisement, by Registered/Speed Post:

Under Secretary (CU-IV Desk),
Department of Higher Education, Ministry of Education,
Room No. 216-D, 'D' Wing,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001.

"Application for the post of Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya", should be super-scribed on the envelope.

This Department is not responsible for postal delay.

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति

अकादिमक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपित से यह उम्मीद की जाती है:

- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यिनष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता संपन्न व्यक्ति को ही कुलपित नियुक्त किया जायेगा। कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासिनक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद होना चाहिए।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें

- इस पद पर 2,10,000/- रुपए (निश्चित) प्रतिमाह के साथ 11,250/- रूपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, एवं सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई है।

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- यह नियुक्ति महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- यह विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट http://www.education.gov.in और https://hindivishwa.org पर उपलब्ध है
- <u>निर्धारित प्रोफार्मा</u> में आवेदन इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री/ स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर पहुंचने चाहिए:

अवर सचिव (केंद्रीय विश्वविद्यालय - IV डेस्क) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा संख्या 216-D, 'D' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

लिफाफे पर "कुलपित के पद हेतु आवेदन - महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय", ऊपरलिखित होना चाहिए।

यह विभाग, डाक विलंब हेतु जिम्मेदार नहीं।